पत्रांक : 1043 /आयु0क0उत्तराखण्ड/धारा–57 अनु0/वाणि0कर/2016–17/देहरादून।

कार्यालयः–आयुक्त कर उत्तराखण्ड
(धारा–57, अनुभाग)
देहरादूनः दिनांकः 30 मई, 2016

प्रार्थना पत्र संख्या – 13/26.08.15
द्वारा – **सर्वश्री Liberty Shoes Ltd. Langha Road, Village Chhabra, Vikasnagar, Dehradun.**
उपस्थिति – **श्री सतीश कुमार गोयल, अधिवक्ता फर्म।**
निर्णय का दिनांक – 30.05, 2016

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा–57 के अन्तर्गत निर्णय

उक्त व्यापारी द्वारा उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा–57 के अन्तर्गत यह प्रार्थना प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी द्वारा उनके द्वारा बिक्री किये जा रहे फुटवियर के सम्बन्ध में कर की दर को स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया है।

इस सम्बन्ध में उनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के साथ उनके द्वारा तैयार फुटवियर की सूची दी गयी है। प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत संलग्नकों में विभिन्न न्यायालयों, अधिकरणों व कर निर्धारण स्तर पर पारित आदेशों की प्रतियां संलग्न की गयी हैं तथा इनके आधार पर इस तथ्य पर बल दिया गया है कि उनके द्वारा जिस वस्तु की बिक्री पर कर की दर पूछी जा रही है उस वह वस्तु में मोल्डेड प्लास्टिक फुटवियर होने के कारण उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की अनुसूची II (ख) की प्रविष्टि संख्या 145 से आच्छादित होने के कारण इस पर 05 प्रतिशत की दर से करदेयता होनी चाहिए।

व्यापारी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक/प्रवर्तन) वाणिज्य कर, देहरादून सम्भाग, देहरादून का मत प्राप्त किया गया। ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक/प्रवर्तन) वाणिज्य कर, देहरादून सम्भाग, देहरादून द्वारा अपना मत निम्न प्रकार दिया गया हैः–

''उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की अनुसूची–7 के कमांक 3 में विज्ञप्ति संख्या 147 दिनांक 21.02.2008 से निम्न संशोधन किया गया हैः– 3. ''मोल्डेड प्लास्टिक फुटवियर, हवाई चप्पल्स एवं उनके स्ट्रेप्स''

उक्त प्रविष्टि को विज्ञप्ति संख्या 97 दिनांक 20.01.2015 के द्वारा समाप्त कर दिया गया है साथ ही विज्ञप्ति संख्या 145 दिनांक 20.01.2015 से अनुसूची II (ख) में 5 प्रतिशत से कर योग्य वस्तुओं की सूची में कमांक–145 निम्न प्रकार रखा गया हैः–

'' 145– मोल्डेड प्लास्टिक फुटवियर हवाई चप्पल एवं उनके स्ट्रेप्स''

उपरोक्त प्रविष्टि से स्पष्ट है कि मोल्डेड प्लास्टिक फुटवियर, हवाई चप्पल एवं उनके स्ट्रेप्स की बिक्री पर 5 प्रतिशत की दर से कर दायित्व आकर्षित होता है।

प्रार्थी द्वारा जिन वस्तुओं का उल्लेख किया गया है उन्हें कामन पारलेन्स मोल्डेड फुटवियर नहीं कहा जाता है तथा उल्लिखित फुटवियर पूर्णतः मोल्डेड नहीं हैं। अतः इन्हें मोल्डेड प्लास्टिक फुटवियर की श्रेणी में रखा जाना उचित नहीं होगा। प्रार्थी द्वारा ऐसे फुटवियर, जिनमे टैक्सटाइल फैब्रिक्स के ऊपर रबर अथवा प्लास्टिक कोटेड फुटवियर को एक्साइज टेरिफ दृष्टिगत रखते हुये इन्हें मोल्डेड प्लास्टिक फुटवियर की श्रेणी में चाहा है जबकि वैट के दृष्टिकोण से प्लास्टिक कोटेड टैक्सटाइल को प्लास्टिक माना जाना उचित नहीं होगा।

व्यापारी द्वारा जिन वस्तुओं पर कर की दर के सम्बन्ध में पृच्छा की गयी है वे सामान्य भाषा में स्पोर्ट्स शूज की श्रेणी में आते हैं। जिन पर अभी तक व्यापारी द्वारा अवर्गीकृत की भांति कर जमा किया जा रहा है। वास्तव में व्यापारी द्वारा मोल्डेड प्लास्टिक फुटवियर का निर्माण नहीं किया जा रहा है, समस्त फुटवियर या तो लेदर शूज हैं अथवा स्पोर्ट्स शूज।

o/c

उपरोक्त संशोधन के सम्बन्ध में लेजिसलेचर की मंशा यह होगी कि प्लास्टिक मोल्डेड फुटवियर गरीब जनता प्रयोग करती है अतः उन्हें लाभ देने के उद्देश्य से उक्त संशोधन किया गया है।

अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों को देखते हुये प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वस्तुओं को प्लास्टिक फुटवियर की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है तथा इनकी बिक्री पर अवर्गीकृत वस्तुओं की भांति 13.5 प्रतिशत की दर से कर आकर्षित होता है।''

ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक/प्रवर्तन) वाणिज्य कर, देहरादून सम्भाग, देहरादून द्वारा अपने पत्र के साथ डिप्टी कमिश्नर (क0नि0)–1 वाणिज्य कर विकासनगर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट भी संलग्न की गयी है। इस रिपोर्ट में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा व्यापारी की निर्माण इकाई में जाकर वस्तु के निर्माण प्रक्रिया को समझते हुये एवं निर्माण में प्रयुक्त वस्तुओं की जांच करते हुये आख्या प्रेषित की गयी है।

धारा–57 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु प्रेषित नोटिस के अनुपालन में श्री सतीश कुमार गोयल, अधिवक्ता फर्म उपस्थित हुए। उनके द्वारा मुख्य रूप से प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न विभिन्न निर्णयों को हवाला दिया गया। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा हरियाणा राज्य व दिल्ली राज्य के बजट स्पीच की प्रति भी प्रस्तुत की गयी, जिसमें फुटवियर पर कर की दर के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये हैं।

सुनवाई के समय फर्म अधिवक्ता द्वारा इस बात पर बल दिया गया कि उनके द्वारा जो वस्तु बनायी जाती है वह प्लास्टिक की है तथा मोल्डेड पद्धति से बनी है। अतः यह वस्तु मोल्डेड प्लास्टिक फुटवियर की श्रेणी में आती है, जिस कारण इस पर 05 प्रतिशत की दर से करदेयता होनी चाहिए। उनके द्वारा बताया गया कि अन्य राज्यों में भी इसी प्रकार के फुटवियर को इस प्रकार की प्रविष्टि में रखा गया है। अतः उत्तराखण्ड राज्य में भी इस वस्तु पर 05 प्रतिशत की दर से करदेयता होनी चाहिये।

व्यापारी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक/प्रवर्तन) वाणिज्य कर, देहरादून सम्भाग, देहरादून द्वारा प्रेषित आख्या व डिप्टी कमिश्नर (क0नि0)–1 वाणिज्य कर, विकासनगर द्वारा प्रेषित जांच आख्या का अवलोकन किया गया। डिप्टी कमिश्नर (क0नि0)–1 वाणिज्य कर, विकासनगर द्वारा अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा गया है कि उनके द्वारा व्यापारी द्वारा निर्माण प्रक्रिया का अध्ययन किया गया। उनके द्वारा जिस वस्तु के सम्बन्ध में करदेयता सम्बन्धी प्रश्न किया गया है वह Direct Injection Process द्वारा निर्माण की गयी है। अतः यह मोल्डेड फुटवियर की श्रेणी में आयेगी। अतः व्यापारी द्वारा बिक्री की जा रही वस्तु को मोल्डेड फुटवियर माना जाता है।

डिप्टी कमिश्नर (क0नि0)–1 वाणिज्य कर, विकासनगर द्वारा अपनी रिपोर्ट में लिखा गया है कि व्यापारी द्वारा बिक्री की जा रही वस्तु का सोल पी0वी0सी0 (प्लास्टिक) का है, किन्तु शू–अपर प्लास्टिक कोटेड फैब्रिक का बना है। इसके अन्तर्गत फैब्रिक पर प्लास्टिक की परत चढ़ा दी गयी है, किन्तु यह हिस्सा पूरी तरह से प्लास्टिक का नहीं बना हैं। इस वस्तु को प्लास्टिक कोटेड फैब्रिक कहा गया है, न कि प्लास्टिक। अतः फुटवियर के ऊपरी भाग को प्लास्टिक का बना नहीं कहा जा सकता है।

व्यापारी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में इस बात पर बल दिया गया है कि उनके द्वारा जिस वस्तु का निर्माण किया जाता है वह मुख्यतः प्लास्टिक की बनी है। इस सम्बन्ध में उनके द्वारा फुटवियर डिजाइन एण्ड डेवलपमेन्ट इन्स्टीट्यूट के एक प्रमाण पत्र को भी आधार बनाया गया है। इस प्रमाण पत्र में उनके उत्पाद को Central Excise Tariff के चैप्टर 64 की धारा 12 के नोट–3 में परिभाषा VBC 6 stsa23.10-24.6 का उद्धरण दिया गया है। इस चैप्टर में HSN Code का प्रयोग करते हुए प्लास्टिक फुटवियर को परिभाषित किया गया है। इसके अन्तर्गत एन्ट्री संख्या 6402.19 निम्न प्रकार हैः–

" Waterproof footwear with outer soles and uppers of rubber or of plastics, the uppers of which are neither fixed to the sole nor assembled by stitching, riveting, nailing, screwing, plugging or similar process."

इस चैप्टर में नोट–3 निम्न प्रकार हैः–

"For the purposes of this chapter: (a) the terms "rubber" and "plastics" include woven fabrics or other textile products with an external layer of rubber or plastic being visible to the naked eye; for the purpose of this provision, no account being taken of accessories or reinforcements."

इस प्रकार इस नोट मे फैब्रिक पर प्लास्टिक कोट को भी सम्मिलित किया गया है, किन्तु उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित अधिनियम में दी गयी प्रविष्टि में सिर्फ प्लास्टिक फुटवियर की बात कही गयी है।

अतः इस प्रमाण पत्र के आधार पर व्यापारी के उत्पाद को उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम में दी गयी प्रविष्टि से आच्छादित नहीं माना जा सकता है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने निर्णय Geep Flashlight Industries Ltd. Vs. Union of India, 5 5 1985 (2) E.L.T.3 (S.C.) VBC 17 stsa 23.10-24.6 में निम्न मत व्यक्त किया गया है:–

"articles made of plastic would mean articles made wholly of (the) commodity commercially known as "plastics" and not "articles made from plastics along with other materials."

उक्त निर्णय के आलोक में व्यापारी द्वारा जिस फुटवियर का निर्माण किया जाता है उसे किसी तरह से प्लास्टिक मोल्डेड नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि उसका अपर प्लास्टिक कोटेड फैब्रिक का बना है, जो प्लास्टिक से भिन्न वस्तु है। डिप्टी कमिश्नर (क0नि0)–1 वाणिज्य कर, विकासनगर द्वारा भेजी गयी रिपोर्ट के अनुसार व्यापारी द्वारा फुटवियर का अपर बनाने में जिन वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है, उनमें निम्न वस्तुएं हैं:–

Fabric, sugar coted cotton fabric, peril cloths, sponge (foam), resin etc.

उक्त समस्त तथ्यों व माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के परिप्रेक्ष्य में व्यापारी द्वारा जिस वस्तु को मोल्डेड प्लास्टिक फुटवियर कहा जा रहा है वह वास्तव में प्लास्टिक फुटवियर नहीं है, क्योंकि इसका अपर प्लास्टिक कोटेड फैब्रिक का बना हुआ है। अतः इसे उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की अनुसूची II (ख) की प्रविष्टि संख्या 145 से आच्छादित नहीं माना जा सकता है तथा इस पर 13.5 प्रतिशत की दर से करदेयता होगी।

तद्नुसार आवेदन कर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जा रहा है।

इस निर्णय की प्रतिलिपि आवेदनकर्ता तथा सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु पृथक–पृथक भेजी जाए।

(दिलीप जावलकर)
आयुक्त कर,
उत्तराखण्ड।

पृ0प0सं0 1043/दिनांक : उक्त ।

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– सचिव वित्त, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, वैभव पैलेस, इंदिरानगर, देहरादून।
3– एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्यकर, देहरादून/हरिद्वार/काशीपुर/रूद्रपुर जोन।
4– समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य0/प्रव0) वाणिज्य कर, देहरादून/ऋषिकेश/हरिद्वार/रूड़की/काशीपुर/बाजपुर/रूद्रपुर/खटीमा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे उक्त की अतिरिक्त प्रतियाँ कराकर अपने अधीनस्थ अधिकारियों/बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों/व्यापारी संगठनों के अध्यक्ष/सचिव को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
5– ज्वाइन्ट कमिश्नर (अपील) वाणिज्य कर, देहरादून/हल्द्वानी।
6– श्री अनुराग मिश्रा डिप्टी कमिश्नर वाणिज्य कर एवं web Information Officer को विभागीय Website पर Update करने हेतु।
7– डिप्टी कमिश्नर (क0नि0)1 विकासनगर।
8– नेशनल लॉ हाउस बी–2 मार्डन प्लाजा बिल्डिंग अम्बेड़कर रोड, गाजियाबाद।
9– नेशनल लॉ एण्ड मैनेजमेन्ट हाउस–15/5 राजनगर, गाजियाबाद।
10– लॉ पब्लिकेशन व्यापार कर भवन, कलैक्ट्रेट कम्पाउण्ड, राजनगर, गाजियाबाद।
11– कार्यालय अधीक्षक की केन्द्रीय गार्ड फाईल हेतु।
12– विधि अनुभाग की गार्ड फाईल हेतु।

आयुक्त कर,
उत्तराखण्ड